Conduct of election Rules.1961 (Statutory Rules and Order)

FORM - 21 C

(See. rule 64) Declaration of the Result of Election under section 66 of the Representation of the People Act. 1951

Election to the Legislative Assembly of Rajasthan From 174-Kumbhalgarh Assembly Constituency

In pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the People act. 1951 read with rule 64 of the conduct of Election Rules, 1961, I declare that :-

Shri Surendra Singh Rathore Nimdi Chowk, Aagriya, Post-Aagriya, Tehsil- Amet, Dist-Rajsamand

Sponsored by Bharatiya Janata Party

(Name of recognised/registered political party) has been duly elected to fill the seat in that house from the above constituency

Place: Shri Balkrishna Vidhyabhavan Govt. Adarsh Sr. Sec. School, Kankroli (Rajsamand)

Date: 11/12/2018

(ParsaRam)

Returning Officer

Assembly Constituency 174- Kumbhalgarh Sub divisional Magistrate & Sub divisional Officer Kumbhalgarh

रिटर्निंग अधिकार्क (अधिक) विज्ञान-सभा क्षेत्र

174-क्रुग्सगद

निर्वाचनों का संचालन नियम,1961 (कानूनी नियम और आदेश)

प्रारूप 21-ग

(नियम 64 देखिये)

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन के परिणाम की घोषणा।

174—कुम्भलगढ़ विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से राजस्थान की विधान सभा के लिये निर्वाचन।

निर्वाचनों का संचालन नियम,1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम,1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूं कि :—

श्री सुरेन्द्र सिंह राठौड़

नीमड़ी चौक, आगरिया, पोस्ट–आगरिया, तहसील–आमेट,

जिला-राजसमन्द

जो भारतीय जनता पार्टी (मान्यता प्राप्त / रजिस्ट्रीकृत राजनैतिक पार्टी का नाम) द्वारा खड़े किये गये ।

उपर्युक्त निर्वाचन क्षेत्र से उस सदन में स्थान भरने के लिये सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गये है ।

रथान :बालकृष्ण विद्याभवन रा.उ.मा.वि. काकंरोली (राजसमन्द)

दिनांक : 11/12/2018



(परसाराम)
रिटर्निंग अधिकारी
विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र 174— कुम्भलगढ़
उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट कुम्भलगढ़
रिटर्नेग अधिकारी (६०%)
विधान-सभा क्षेत्र

174-कुम्भलगढ